भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2208

दिनांक 02 अगस्त,2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

जांचा-परखा प्रस्ताव

2208. श्री दुष्यंत सिंहः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि यूरोपीय संघ के जांचे-परखे प्रस्ताव से हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) प्रभावित होंगे और आयात में कमी आएगी;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई लागत आकलन किया है कि इस प्रकार के कानून से यूरोपीय संघ को भारत के निर्यात और प्रभावित एमएसएमई फर्मों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है जिनके पास श्रम, पर्यावरण और अन्य कानूनों को लागू करने की क्षमता कम है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का नई दिल्ली और ब्रुसेल्स के मध्य हुए मुक्त व्यापार समझौते में इस मुद्दे को उठाने का विचार है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त मुक्त व्यापार समझौते में क्या प्रगति हुई है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): यूरोपीय आयोग ने डाइरेक्टिव ऑन कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेंस (सीएसडीडी) के रूप में एक विधायी प्रस्ताव किया है, जिसका ईयू के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा विधायन किया जाना अभी भी बाकी है। वर्तमान में, यूरोपीय संसद और यूरोपीय संघ के बीच यूरोपीय संघ के विभिन्न प्राधिकारियों के मध्य सीएसडीडी पर एक आंतरिक समझौता प्राप्त करने के लिए वार्ता चल रही है। इसका पूरा निहितार्थ तभी स्पष्ट होगा जब कानून प्रभावी होगा। ऐसे मामलों पर, सरकार इन मुद्दों को उचित मंच पर उठाने के लिए भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों, उद्योग निकायों और व्यापार विशेषज्ञों के साथ हितधारक परामर्श का आयोजन करती है।

*****